

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी:- श्री सी. एल. शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 37/2018

1- श्रीमति कमला कुंजी व तनु शास्त्री नि० भोजपुरा, कोरवा. —प्रार्थी

वनाम
1- श्री अरुण पिता रमेश शास्त्री नि० भोजपुरा, कोरवा. —विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश :: दिनांक:- 23.3.18.

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि०नियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भोजपुरा पटवार हल्का दंडक तहसील मांडल/कोरवा में उसके खाते/संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 21, 83, 85 कुल कित्ता 3 एकवा 7 बीघा 12 विस्वा स्थित हैं। बादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतादायिता के सीमा विन्दु नहीं होने से आये दिन सीमा राकधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 31.1.18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि बाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का आदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आदेश पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भोजपुरा पटवार हल्का दंडक तहसील मांडल/कोरवा में स्थित आराजी नम्बर 21, 83, 85 कुल कित्ता 3 एकवा 7 बीघा 12 विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षण पीयाल को 400/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मोके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मोके व कब्जे की यथास्थिति की बनाये रखते हुये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिले, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार मांडल/कोरवा को भेजकर लख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिले, भीलवाड़ा